

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ़

बाबूलाल बनाम अनिल कुमार

प्रा. पत्र 212 आर.टी.एक्ट स्थगन प्रा0 पत्र

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो जारी
हुआ

तारीख हुकम

17.07.2019

आज यह प्रा.पत्र सायल के वकील द्वारा मय प्रा0 पत्र 212 आर.टी. एक्ट पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र एवं फोटोप्रति जमाबन्दी 2072-2075 पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया।

हमने वकील सायल की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया केस एवं सूविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 18.09.2019 तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आ.ख. नं0 हाल 317 वाके ग्राम रामबास तह0 गोविन्दगढ में गैरसायलान को विवादित आराजी मे कब्जे काशत में में रुकावट मजाहमत न करने हेतु पाबन्द किया जाता है। यदि उक्त आदेश की पादना में कोई एतराज हो तो नियत दिनांक को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करें कि क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा स्थाई कर दिया जावे। आदेश जारी हो।पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जर्गे कोर्ट नोटिस तलब कर दिनांक 18.09.2019 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ अलवर

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ अलवर
दिनांक 18/07/19 को पेश हो।

18-7-19

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ अलवर
दिनांक 19/07/19 को पेश हो।

31/10/19

पत्रावली पेश वकील प्रार्थी उपर अप्रार्थीगण से 0। एकी नलकी हेतु रजिं साधात तलवाना पेश को। उक्त पूर्व त. की आवधि ठगई जारी है। फावली दि० 19/3/19 को पेश हो।

19/3/20

आज यह पत्रावली पेश हुई। आज बा० प्रमोशन ने कार्य स्थगित कर रखा है। P. O. सादर भ्रमण पर है। पत्रावली दिनांक 16/4/20 को पेश हो।

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

23/6/23 वकील शाही उपस्थित।
 साविक आदेश दिनांक 17.7.2019
 की पालना में पत्रावली वास्ते सबली अपाणी गण अर्थ रचित
 दिनांक को पेश हो अंतिम योका।
 10.08.23

उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

11/8/23 पत्रावली पत्र ई / P.O. साहब

 पत्रावली दिनांक को पेश हो
 11/8/23
 रीडर

11/9/23 वकील शाही उपस्थित
 साविक आदेश दिनांक
 की पालना में पत्रावली वास्ते
 दिनांक को पेश हो
 06.10.23
 अंतिम योका
 उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर)

06.10.23 पत्रावली पेश। P.O. साहब
 शतफाश पत्र है।
 पत्रावली दिनांक को पेश हो।
 23.10.23
 रीडर

23.10.23 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो० द्वारा कार्य
 स्थगित किया है। P.O. साहब
 में है।
 पत्रावली दिनांक को पेश हो।
 11.12.23
 रीडर

11.12.23 पत्रावली भ्राम सूल वाद के साथ पेश हुई वकील
 शाही अनुपस्थित। शाहीना पत्रा - 212 RFA का सूल
 दावा भ्राम शाहीरी - भ्राम पेशी में खासिय वेगणी
 अतः शाहीना पत्रा - 212 RFA के प्रत्येक पत्रे का कोई
 औचित्य नहीं है। अतः शाहीना पत्रा - 212 RFA खासिय
 क्रिया जाता है। पत्रावली फ्रैजल सूमार धोरत अखर
 से क्रय हो। वाद तामिल तकमील सूल वाद के
 सेवग्य हो।

उपखण्ड अधिकारी
 गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०